



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 56-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 29, 2019 (CHAITRA 8, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2019

संख्या 39/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 21 तथा 59/2019 .- पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 21 तथा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 98/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 9/2018, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 के प्रतिनिर्देश से, मैं, अमित कुमार अग्रवाल, आबकारी आयुक्त, हरियाणा, इसके द्वारा, अप्रैल, 2019 के प्रथम दिन से पंजाब आसवनी नियम, 1932, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:-

1. ये नियम पंजाब आसवनी (हरियाणा संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब आसवनी नियम, 1932 में, नियम 3 में, खण्ड (ड़) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ड़) हरियाणा राज्य में आसवनी की स्थापना करने के लिए आवेदक द्वारा आशय पत्र प्राप्त किया जाएगा। आशय पत्र वैद्यता सरकार की अनुमति से एक वर्ष की वैध अवधि सहित कतिपय निबन्धनों तथा शर्तों सहित जारी किया जाएगा तथा आशय पत्र प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष फीस पहली बार ₹ 70.00 लाख होगी तथा एक वर्ष के प्रथम विस्तार के लिए आशय पत्र की पुनः वैधीकरण के लिए फीस आशय पत्र देने के लिए फीस की दर समान होगी तथा एक वर्ष के प्रत्येक पश्चात्वर्ती विस्तार के लिए पुनः वैधीकरण फीस पूर्व वर्ष की फीस का 125 प्रतिशत होगी।”।

आशय पत्र के पुनः वैधीकरण के लिए फीस जहां पहले आशय पत्र या इसके पुनः वैधीकरण के लिए कोई भी फीस प्रभारित नहीं की गई थी वहां ₹ 70.00 लाख तथा पश्चात्वर्ती पुनः वैधीकरण पूर्व वर्ष की फीस का 125 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी।”।

अमित कुमार अग्रवाल,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,
हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th March, 2019

No. 39/X-1/P.A.1/1914/S.21 and 59/2019.— In exercise of the powers conferred by sections 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), and with reference to the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.98/X-1/P.A.1/1914/S.9/2018, dated the 31st October, 2018, I, Amit Kumar Agrawal, Excise Commissioner, Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Punjab Distillery Rules, 1932, in their application to the State of Haryana, with effect from the 1st day of April, 2019, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Distillery (Haryana Amendment) Rules, 2019.
2. In the Punjab Distillery Rules, 1932 (hereinafter called the said rules), in rule 3, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :-

“(e) A letter of intent shall be obtained by the applicant for setting up a distillery in the State of Haryana. The letter of intent shall be issued with certain terms and conditions with a validity period of one year with the permission of the Government and a fee per annum for grant of letter of intent for the first time shall be seventy lac rupees fee for revalidation of letter of intent for the first extension of one year shall be at the rate equal to the fee for grant of letter of intent and for each subsequent extension of one year, the revalidation fee shall be 125% of the previous year’s fee.

The fee for revalidation of letter of intent where previously no fee for letter of intent or its revalidation was charged shall be charged at the rate of seventy lac rupees and subsequent revalidation shall be 125% of the previous years’s fee.”.

AMIT KUMAR AGRAWAL,
Excise and Taxation Commissioner,
Haryana.